

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
कार्य-सूची
गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्ये

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री वित्त एवं नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: प.5(1)वित्त/कर/2009/50 दिनांक 26.8.2009 जिसके द्वारा श्रीमान चेतनदासजी महाराज रामद्वारा कमेटी, बाड़मेर द्वारा बालमंदिर संचालन समिति, बाड़मेर को दान के रूप में दी गई भूमि पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क राशि का परिहार किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: प.10(47)वित्त/कर/93-51 दिनांक 26.8.2009 जिसके द्वारा डीएनए या, जयपुर द्वारा आयोजित गोलछा सिनेमा, जयपुर में दर्शायी जाने वाली फिल्म डिटैक्टिव नानी को दिनांक 2.9.2009 से 22.9.2009 तक मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 3- अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-52 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम,2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-53 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-54 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-5 के अन्तर्गत आरएसबीसीएल के लिये कम्पोजिशन स्कीम जारी कर रिटेल ऑफ वाले विक्रताओं के लिये कर मुक्ति की व्यवस्था की गई है ;
- 6- अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-55 दिनांक 31.8.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) में रिटेल ऑफ व्यवहारी जो आरएसबीसीएल से आईएमएफएल का इन्वोईस से क्रय कर विक्रय करेंगे, उनको कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 7- अधिसूचना संख्या:प.12(99)वित्त/कर/07-56 दिनांक 5.10.2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-3(3) के अन्तर्गत एमएसएमई की ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयों को दिनांक 14.2.2008 के बाद हुए निवेश पर विद्युत शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;

- 8- अधिसूचना संख्या:प.2(11)वित्त/कर/03-पार्ट-57 दिनांक 20.10.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.2(11)वित्त/कर/2003-110 दिनांक 14.1.2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 9- अधिसूचना संख्या:प.12(156)वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 जिसके द्वारा सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर व निर्यात संवर्द्धन इण्डस्ट्रीयल पार्क (ईपीआईपी), जयपुर में दिनांक 29.10.2009 को आग लगने के कारण अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक वैट व सीएसटी का आस्थगन किया गया है ;
- 10- अधिसूचना संख्या:प.2(37)वित्त/कर/09-59 दिनांक 13.11.2009 जिसके द्वारा नगर निगम, जोधपुर द्वारा यूको बैंक जोधपुर से 15.00 करोड़ रुपये के लिये निष्पादित विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क रुपये 75.00 लाख का परिहार किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या:प.2(11)वित्त/कर/2003-60 दिनांक 17.11.2009 जिसके द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की विशेष राहत योजना में दिनांक 31.3.2010 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 12- अधिसूचना संख्या:प.12(124)वित्त/कर/09-61 दिनांक 26.11.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 13- अधिसूचना संख्या:प.12(124)वित्त/कर/09-62 दिनांक 26.11.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(85)वित्त/कर/07-58 दिनांक 29.8.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 14- अधिसूचना संख्या:प.24(5)वित्त/कर/09-63 दिनांक 26.11.2009 जिसके द्वारा फिल्म "किसान" को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मनोरंजन कर का शत-प्रतिशत परिहार किया गया है ;
- 15- अधिसूचना संख्या:प.1(6)वित्त/कर/09-64 दिनांक 7.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 16- अधिसूचना संख्या:प.2(44)वित्त/कर/08-65 दिनांक 7.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(28)वित्त/कर/2007-155 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 17- अधिसूचना संख्या:प.1(6)वित्त/कर/2009-66 दिनांक 8.12.2009 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा नीलामी में विक्रय भूखण्डों की लीज डीड निष्पादन पर देय स्टाम्प ड्यूटी के अन्तिम बोलीदाता के पक्ष में प्रक्रिया निर्धारित की है ;
- 18- अधिसूचना संख्या:प.2(38)वित्त/कर/09-67 दिनांक 8.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(20)वित्त/कर/2005-221 दिनांक 24.3.2005 को अधिक्रमित किया गया है ;
- 19- अधिसूचना संख्या:प.12(100)वित्त/कर/09-68 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

- 20- अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-69 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-54 दिनांक 31.8.2009 में संशोधन किया गया है ;
- 21- अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-70 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(94)वित्त/कर/07-55 दिनांक 31.8.2009 में संशोधन किया गया है ;
- 22- अधिसूचना संख्या:प.12(125)वित्त/कर/09-71 दिनांक 16.12.2009 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 23- अधिसूचना संख्या:प.2(45)वित्त/कर/09-72 दिनांक 16.12.2009 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन के संबंध में निष्पादित समस्त लेख पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार्य किया गया है ;
- 24- अधिसूचना संख्या:प.2(19)वित्त/कर/2007-73 दिनांक 22.12.2009 जिसके द्वारा अनरजिस्टर्ड अन्तरवर्ती हस्तान्तरण के दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी की छूट दिनांक 31.3.2010 तक की गई है ;
- 25- अधिसूचना संख्या:प.12(114)वित्त/कर/07-74 दिनांक 1.1.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 26- अधिसूचना संख्या:प.12(86)वित्त/कर/2009-75 दिनांक 27.1.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 27- अधिसूचना संख्या:प.12(86)वित्त/कर/2009-76 दिनांक 27.1.2010 जिसके द्वारा आयातीत चीनी को वैट मुक्त किया गया है ;
- 28- अधिसूचना संख्या:प.2(42)वित्त/कर/09-77 दिनांक 3.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा ऑथेराईज्ड अंशपूंजी एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ करोड़ रुपये करने पर देय मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 29- अधिसूचना संख्या:प.2(27)वित्त/कर/2009-78 दिनांक 5.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया ;
- 30- अधिसूचना संख्या:प.2(4)वित्त/कर/2010-79 दिनांक 16.2.2010 जिसके द्वारा ऐयर फोर्स नेवल, हाऊसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आवंटित भूमि पर उक्त संस्था द्वारा निर्मित मकान,फ्लेट्स के हस्तान्तरण हेतु निष्पादित विलेख पर यदि हस्तान्तरण उक्त संस्था द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में किया गया है, तो मुद्रांक शुल्क में छूट/रियायत प्रदान की गई है ।

नगरीय विकास विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.10(21)यूडीडी/3/09 दिनांक 10.9.2009 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, आबू का गठन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.10(49)यूडीडी/3/09 दिनांक 10.9.2009 जिसके द्वारा नगर विकास न्यास, जैसलमेर का गठन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.2(18)यूडीडी/5/09 दिनांक 23.12.2009 जिसके द्वारा अफोर्डेबल हाऊसिंग पोलिसी, 2009 जारी की गई है ;

II - श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

उपनिवेशन विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)कोल/2009 दिनांक 13 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)कोल/09 दिनांक 15 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि का स्थायी आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.4(5)कोल/2009 दिनांक 3 सितम्बर,2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)कोल/2005 दिनांक 7 दिसम्बर,2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)कोल/2008 दिनांक 18 दिसम्बर,2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.4(11)कोल/96 दिनांक 18 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)कोल/2008 दिनांक 15 फरवरी,2010 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- डॉ० जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2004-2005 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे ।

II- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का पांचवा प्रतिवेदन ;
- 2- गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का छठा प्रतिवेदन ;
- 3- गृह (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का सातवां प्रतिवेदन ;
- 4- गृह (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का आठवां प्रतिवेदन ;
- 5- गृह (अभियोजन) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का नवां प्रतिवेदन ;
- 6- गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का दसवां प्रतिवेदन ;
- 7- गृह (कारागार) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ;

4. याचिकाओं का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

I- चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, सैक्टर-23 में सड़क निर्माण बाबत् ; एवं

II- जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर के उत्खननकर्ता खान श्रमिकों के लिये आवासीय योजना बाबत् ।

5. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

I – डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाड़ (टोंक) विधेयक, 2010

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- डॉ. के.एन.मोदी विश्वविद्यालय
निवाड़ (टोंक) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-7)
- "राजस्थान राज्य में डॉ० के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाड़ (टोंक) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

II- एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय,
नीमराना (अलवर)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-10)
- "राजस्थान राज्य में एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत एन.आई.आई.टी.विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

III- होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- होम्योपैथी विश्वविद्यालय,
जयपुर विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-9)
- "राजस्थान राज्य में होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 24 फरवरी, 2010